किसानों को ऋण के संबंध में राजसहायता बंद करना

2885. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान, किसानों को ऋण राहत के संबंध में राजसहायता देना बिल्कुल बन्द कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में, इस शीर्ष के अंतर्गत राजसहायता दी जाती थी;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी राजसहायता दी गई थी तथा वर्ष 1994-95 में यह राशि कितनी रह गई; और

(ङ) राजसहायता बंद करने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार उसे दोबारा शुरू करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) संभवत: माननीय सदस्य महोदय का आशय वर्ष 1990-91 के दौरान किसानों को दी गई ऋण राहत से है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन उधारकर्ताओं की चुनिन्दा श्रेणी को ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 तैयार की थी जिन्होंने योजना के अधीन निर्धारित पात्रता मानदंड का अनुपालन किया था। सहकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए राज्य सरकारों ने स्वयं भी अपनी योजनाएं तैयार की हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इन बैंकों द्वारा दी गई ऐसी ऋण राहत के कारण वर्तमान नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी। सहकारी बैंकों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति 50:50 के आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को वहन करनी थी। तदनुसार, भारत सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों के दावों को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में क्रमश: 1500 करोड़ रु०, 1425 करोड़ रु०, 1500 करोड़ रु०, 500 करोड़ और 341 करोड़ रु० जारी किए थे।

15 मई 1990 से प्रभावी इस योजना के अंतर्गत, ऋण राहत उन पात्र उधारकर्ताओं की अतिदेय राशियों को पूरा करने के लिए प्रदान की गई थी जिन्होंने 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिए थे और ऋण की राशि को प्रति उधारकर्ता 10,000 रु० तक सीमित कर दिया गया था। यह कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है और उपर्युक्त योजना के अधीन कोई और राहत प्रदान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

RBI guidelines regarding Saving Banks Accounts

2886. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of guidelines issued by RBI from time to time in regard to savings banks accounts operations in various nationalised banks and foreign banks;

(b) whether it is a fact that foreign banks including Standard Chartered have been charging service charges from Rs. 100 to Rs. 200 per month from those saving bank holders whose balance fall short of Rs. 10 thousands;

(c) whether these foreign banks have been flouting rules and regulations and the guidelines of RBI; and

(d) whether Government have taken any preventive action in this regard and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that they have not issued any guidelines to commercial banks (including nationalised banks and foreign banks) in regard to operation of savings banks accounts, on the minimum balance to be maintained or service charges to be levied by banks.

(b) to (d) Indian Banks' Association (IBA) has reported that foreign banks stipulate high minimum balance for accounts to be opened and maintained with them. Foreign banks' tariffs on all the services are high compared to public sector banks and other Indian banks. Customers of foreign banks who patronise such banks are expected to have knowledge of these conditions.

Recovery measures for corporate accounts by Banks/FIs.

2887. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: